दोनों सीमित और ओआरएस।

बनाम

बिहार राज्य और ए. एन. आर.

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 1224)

/

11 अगस्त, 2022

[इंदिरा बनर्जी और वी**.** रामसुब्रमणियन**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:धारा 482-एफ. आई. आर./शिकायत को रद्द करना-कब आयोजित किया गया:शिकायत को तब रद्द किया जाना चाहिए जब शिकायत को सावधानीपूर्वक पढ़कर कोई अपराध नहीं पाया जाता है-तथ्यों पर, प्रतिवादी नं। 2 ने यू/एस द्वारा निजी शिकायत दर्ज की।200 Cr.P.C, जिसे न्यायालय ने यू/एस द्वारा संदर्भित किया था।156(3) अपीलार्थियों के खिलाफ यू/एस. एस. के तहत एफ. आई. आर. दर्ज करने के लिए पुलिस को।406, 420, 408, 460, 471, 384, 311, 193, 196/120-बी भारतीय दंड संहिता सी.-शिकायत को पढ़ने से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं के खिलाफ शिकायत किए गए किसी भी अपराध के तत्वों में से कोई भी नहीं है, इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि एफ. आई. आर. कैसे दर्ज की गई थी और आरोप पत्र दायर किया गया था-शिकायत ने स्वयं एक व्यावसायिक संबंध के अलावा और कुछ नहीं बताया जो टूट गया था, जैसे कि प्रतिवादी संख्या 2 के लिए केवल दंड संहिता के पाठ में उपयोग की गई भाषा को जोड़कर अपनी शिकायत का दायरा बढ़ाना संभव नहीं था-इसके अलावा, अपीलकर्ता संख्या 1 ने प्रतिवादी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया था, अदालत प्राप्तकर्ता की नियुक्ति के लिए आदेश प्राप्त किया था; और एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज की थी, जिसे उच्च न्यायालय ने रद्द करने से इनकार कर दिया था; और इसके बाद ही प्रतिवादी संख्या 2 ने उक्त शिकायत दर्ज करने का फैसला किया।

/

/

/

/

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 1224।

/

2014 के आपराधिक विविध सं. 13742 में पटना में बिहार के उच्च न्यायालय के दिनांक 14.05.2018 के निर्णय और आदेश से।

/

1132 ए.

1133

WYETH LIMITED & ORS. v.बिहार राज्य और ए. एन. आर.

मुकुल रोहतगी, गोपाल जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता।, अजय सिंह, समित रोहतगी, सुश्री अलका सिन्हा, अमित कुमार, विवेक कुमार सिंह, अनुव्रत शर्मा, अधिवक्ता।प्रशिक्षुओं के लिए।

नरेंद्र हुड्डा, वरिष्ठ अधिवक्ता, साकेत सिंह, सुश्री सौम्या श्री, अजमत अमानुल्लाह, श्रीमती निरंजना सिंह, शौर्य लांबा, आकाश भुइयां, रुश्टे सलूजा, रंजन कुमार पांडे, अधिवक्ता। उत्तरदाताओं के लिए।न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

/

वी. रामसुब्रमण्यन

1. अनुमति दी गई।

/

2. पटना में उच्च न्यायालय द्वारा दूसरे प्रतिवादी के कहने पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 482 (संक्षेप में "Cr.P.C") के अंतर्गत एक याचिका को खारिज करते हुए पारित एक आदेश से नाराज, अपीलार्थी उपरोक्त अपील के साथ आए हैं।

/

3. अपीलार्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील, बिहार राज्य के लिए विद्वान स्थायी वकील और प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी वकील, जो शिकायतकर्ता थे, को सुना।

4. प्रत्यर्थी सं. 2 को अपीलार्थी सं.1 इसके कैरीइंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट (सी एंड एफ) के रूप में, कुछ नियमों और शर्तों पर, लिखित रूप में कम कर दिया गया।यह समझौता समय-समय पर फरवरी-2012 तक जारी रहा।

/

5. इसके बाद अपीलार्थी संख्या 1 और प्रत्यर्थी संख्या 2 के बीच विवाद उत्पन्न हुए जिसके कारण अपीलार्थी संख्या 1 ने 2012 के सी. एस. No.1432 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय की फाइल पर एक दीवानी मुकदमा दायर किया।उक्त मुकदमे में, उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी सं. 1 से संबंधित दवाओं सहित सामान को अपने कब्जे में लेने के लिए एक कोर्ट रिसीवर नियुक्त करने का आदेश पारित किया, जो प्रतिवादी सं. 1 के कब्जे में थे।2.ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय रिसीवर ने वारंट को निष्पादित किया है और कुछ वस्तुओं का कब्जा बरामद किया है, जिनका विवरण हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है।

/

/

6. दीवानी मुकदमा दायर करने के अलावा, अपीलकर्ता संख्या 1 ने प्रतिवादी संख्या 2 के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 406 और 420 के अंतर्गत कथित अपराधों के लिए आपराधिक शिकायत भी दर्ज की। दिनांक 1 के एक आदेश द्वारा, पटना के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने संज्ञान लिया और प्रतिवादी संख्या 2 को समन जारी किया।

/

7. इसके बाद प्रतिवादी संख्या 2 ने पटना के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आपराधिक शिकायत दर्ज कराई।आई. डी. 1 पर, पटना के विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक आदेश पारित कर शिकायत की प्रति को पाटलिपुत्र पुलिस स्टेशन को भेजने का निर्देश दिया, जिसमें अपीलार्थियों के खिलाफ एक एफ. आई. आर. दर्ज की जाए।उक्त आदेश के अनुसार, पाटलिपुत्र पुलिस स्टेशन ने अपीलार्थियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 406,420,408,460,471,384,311,193,196 के अंतर्गत कथित अपराधों के लिए 2014 के अपराध (आई. डी. 1) में आई. डी. 2 पर एक एफ. आई. आर. दर्ज की।

/

8. इस प्रकार दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देते हुए, अपीलकर्ताओं ने धारा 482 Cr.P.C के अंतर्गत पटना में उच्च न्यायालय की फाइल पर 2014 की आपराधिक विविध याचिका No.13742 में एक याचिका दायर की, जिसमें इसे रद्द करने की मांग की गई।जब उक्त याचिका वर्ष 2018 में अंतिम सुनवाई के लिए आई, तो न्यायालय को सूचित किया गया कि पुलिस पहले ही आरोप पत्र दायर कर चुकी है और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इसका संज्ञान लिया है।

/

/

9. उपरोक्त के रूप में बाद के विकास के आलोक में, पटना में उच्च न्यायालय ने रद्द करने की याचिका को केवल इस आधार पर खारिज कर दिया कि मामले को आगे लंबित रखना उचित नहीं था।उच्च न्यायालय ने इस तथ्य के बावजूद कि अपीलकर्ता संख्या 1 ने आरोप-पत्र को रिकॉर्ड में लाने और आरोप-पत्र को रद्द करने के लिए एक प्रार्थना को शामिल करने के लिए 2014 के आई. ए. No.1015 में एक आवेदन दायर किया, दलीलों के गुण-दोष में जाने का विकल्प नहीं चुना।

/

10. अपनी रद्द याचिका के इस तरह के निपटारे से व्यथित, अपीलार्थी इस न्यायालय के समक्ष हैं।

11. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री मुकुल रोहतगी और श्री गोपाल जैन का प्राथमिक तर्क हैः(i) कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर शिकायत किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करती है; (ii) कि प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा दायर शिकायत केवल अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा दायर दीवानी मुकदमे और प्रत्यर्थी संख्या 2 के खिलाफ अपीलार्थियों द्वारा दर्ज आपराधिक शिकायत के लिए एक जवाबी विस्फोट थी; (iii) कि उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र को रिकॉर्ड पर लाने और आरोप पत्र को रद्द करने के लिए एक प्रार्थना को शामिल करने के लिए एक आवेदन के लंबित होने की अनदेखी की।

/

/

12. जवाब में, प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री नरेंद्र हुड्डा ने तर्क दिया कि हालांकि अपीलकर्ताओं ने ए दाखिल करने के बाद के विकास को रिकॉर्ड में लाने के लिए एक आवेदन दायर किया।

/

आरोप-पत्र और आरोप-पत्र को रद्द करने के लिए एक प्रार्थना को शामिल करने के लिए, अपीलकर्ताओं ने रद्द करने की याचिका की सुनवाई के समय उसी के लिए दबाव नहीं डालने में लापरवाही बरती।प्रत्यर्थी संख्या 2 के विद्वान वरिष्ठ वकील के अनुसार, अपीलकर्ताओं ने अंतर्वर्ती आवेदन में आदेश के लिए दबाव डाले बिना कई मौकों पर स्थगन की मांग की और इसलिए न्यायालय ने रद्द करने की याचिका को लंबित रखना उचित नहीं पाया, जिससे मुकदमे में बाधा उत्पन्न हुई।

/

13. प्रतिद्वंद्वी दलीलों में जाने से पहले, धारा 200 Cr.P.C के अंतर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पटना की फाइल पर प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर आपराधिक शिकायत पर एक नज़र डालना उचित होगा, जिसने मजिस्ट्रेट के लिए धारा 156 (3) Cr.P.C के अंतर्गत एक आदेश पारित करने, पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करने और आरोप पत्र दायर करने की नींव बनाई।संक्षेप में, उक्त शिकायत में जो आरोप लगाया गया था वह इस प्रकार थाः

/

(i) वह प्रतिवादी संख्या 2 विभिन्न दवा कंपनियों के लिए क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट है;

/

((ii) उस अपीलार्थी संख्या 1 ने गोदाम में दवाओं के भंडारण, वितरण और सरकार के साथ पत्राचार सहित विभिन्न कार्यों को करने के लिए अपने समाशोधन और अग्रेषण एजेंट के रूप में प्रत्यर्थी संख्या 2 की सेवाओं को नियुक्त किया।

/

(iii) उस अपीलार्थी संख्या 1 ने एक अन्य कंपनी का अधिग्रहण किया जिसने किराए पर ली थी, जो पटना कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर में स्थित एक गोदाम था;

((iv) कि अपीलार्थियों के आग्रह पर, प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी संख्या 1 के उत्पादों के वितरण के लिए श्रमशक्ति प्रदान की और उन्होंने अपीलार्थी संख्या 1 के प्रबंधकीय कर्मचारियों की देखरेख अंतर्गत काम किया;

/

(v) कि इस प्रकार प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रतिवादी संख्या 2 को कुछ सेवा शुल्क देय थे;

(vi) कि इस बीच गोदाम के लिए किराये का समझौता समाप्त हो गया और इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 को गोदाम में दवाओं को संग्रहीत करने की अनुज्ञात नहीं थी;

/

(vii) कि उसी के कारण, प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा निष्पादित समझौता निष्क्रिय हो गया;

/

/

(viii) कि 26.11.2004 दिनांकित पूरक समझौते के माध्यम से, नई शर्तों को शामिल किया गया था;

(ix) कि पूरक समझौते के निष्पादन के समय, यह आश्वासन दिया गया था कि 1.04.2005 पर और उससे, प्रतिवादी नं।2 गोदाम की अभिरक्षा में पूरे काम को उन्हें सौंपने का अधिकार होगा।

/

(x) कि अपीलार्थी सं. 1 ने प्रत्यर्थी सं. 1 से बैंक गारंटी भी ली।2 रुपये की राशि में। 5,00,000 -

(xi) कि प्रत्यर्थी को किसी भी पूर्व सूचना के बिना नहीं।2, अपीलकर्ताओं ने 2012 में गोदाम को बंद कर दिया।

/

(xii) कि प्रत्यर्थी संख्या 2 को प्रत्यर्थी संख्या 2 के पीछे अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा किए गए एक नए भंडारण समझौते के बारे में पता चला;

(xiii) कि जब भी प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपने पक्ष में पावर ऑफ अटॉर्नी के निष्पादन का प्रश्न उठाया, तो अपीलकर्ताओं ने एजेंसी को समाप्त करने की धमकी दी, जिससे प्रत्यर्थी संख्या 2 को प्रति वर्ष रुपये के साथ भाग लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।

/

(xiv) कि 2004 से 2012 तक पावर ऑफ अटॉर्नी का निष्पादन न होने के कारण, प्रतिवादी संख्या 2 सी एंड एफ एजेंट के रूप में कार्य नहीं कर सका; (xv) कि अपीलकर्ताओं

ने गोदाम में रखे गए प्रतिवादी संख्या 2 से संबंधित फर्नीचर और फिक्स्चर का उपयोग किया।

/

(xvi) कि उन्हें C & F एजेंट के रूप में नियुक्त करने के लिए, अपीलकर्ताओं ने Rs.12 लाख की मांग की, लेकिन प्रतिवादी संख्या 2 ने भुगतान करने से इनकार कर दिया; (xvii) कि 28.02.2012 पर, अपीलकर्ता संख्या 1 के क्षेत्रीय वितरण प्रबंधक ने गोदाम को बंद कर दिया और प्रतिवादी संख्या 2 को राहत दी।

/

(xviii) कि प्रतिवादी संख्या 2 का फर्नीचर और उपकरण अभी भी गोदाम के अंदर हैं; और

(xix) कि उपरोक्त सभी कृत्यों से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं ने एक साथ साजिश रची और धोखाधड़ी, जालसाजी और विश्वासघात के अपराध किए।

/

14. शिकायत को सावधानीपूर्वक पढ़ने से, जिसका सार हमने ऊपर निकाला है, यह पता चलेगा कि अपीलार्थियों के खिलाफ शिकायत किए गए किसी भी अपराध के कोई भी तत्व नहीं हैं।भले ही ए

/

शिकायत में निहित सभी कथनों को सच माना जाता है, वे अपीलार्थियों के खिलाफ कथित अपराधों में से किसी को भी नहीं बताते हैं।इसलिए, हम नहीं जानते कि प्राथमिकी कैसे दर्ज की गई और आरोप पत्र भी दायर किया गया।

15. प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान वरिष्ठ वकील का यह तर्क कि न्यायालय को गवाहों के बयान के साथ पुलिस द्वारा दायर अंतिम रिपोर्ट पर ध्यान देना है, हमारे द्वारा स्वीकार किया जा सकता था, अगर पूरी बात पुलिस में दर्ज प्राथमिक सूचना से सामने आई होती।प्रत्यर्थी संख्या 2 ने वास्तव में धारा 200 Cr.P.C के अंतर्गत एक निजी शिकायत दर्ज की, जिसे न्यायालय द्वारा धारा 156 (3) के अंतर्गत पुलिस को भेजा गया था।जब इस शिकायत ने खुद एक व्यावसायिक संबंध के अलावा और कुछ नहीं बताया जो टूट गया, तो प्रतिवादी संख्या 2 के लिए भारतीय दंड संहिता के पाठ में उपयोग की गई भाषा को केवल जोड़कर अपनी शिकायत का दायरा बढ़ाना संभव नहीं है।

/

/

16. मान लीजिए कि अपीलकर्ता संख्या 1 ने बॉम्बे में न्यायपालिका की फाइल पर एक दीवानी मुकदमा दायर किया था और गोदाम में पड़े सामान को कब्जे में लेने के लिए न्यायालय रिसीवर की नियुक्ति के लिए एक आदेश भी प्राप्त किया था।अपीलकर्ताओं ने एक आपराधिक शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसे पटना उच्च न्यायालय ने रद्द करने से इनकार कर दिया था।अपीलार्थियों द्वारा दीवानी मुकदमा और आपराधिक शिकायत दायर करने के बाद ही प्रतिवादी संख्या 2 ने अपनी शिकायत दर्ज करने का फैसला किया।

/

/

17. उच्च न्यायालय ने आरोप पत्र दाखिल करने के बाद के विकास को रिकॉर्ड में लाने और मूल याचिका में आरोप पत्र को रद्द करने की राहत को शामिल करने के अनुरोध के लिए आवेदन की अनदेखी करने में स्पष्ट रूप से गलती की थी।

18. किसी भी उदाहरण से समर्थन लेने के लिए दिन में बहुत देर हो चुकी है, इस प्रस्ताव के लिए कि यदि शिकायत को सावधानीपूर्वक पढ़ने से कोई अपराध नहीं किया जाता है, तो शिकायत रद्द करने योग्य है।

/

19. इसलिए, अपील की अनुज्ञात जाती है।उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है और अपीलार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी और आरोप पत्र को रद्द कर दिया जाता है।लागत के लिए कोई आदेश नहीं होगा।

/

निधि जैन

अपील अनुज्ञात ।

/